न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 165 / 2013

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुनिल कॉलानी पुत्र चन्द्रगुप्त कॉलोनी, जाति–कॉलानी माहेश्वरी, निवासी पाली तहसील पाली, जिला पाली राज0 हाल 1–ए–4 बापुजी मार्ग, सहकार भवन सहकार मार्ग, जयपुर राज0।		1. सोजत क्षेत्रिय चारण विकास समिति सोजत सिटी जरिये प्रतिनिधिगण 1. विक्रमसिंह पुत्र मोहनसिंह 2. राजेन्द्रसिंह पुत्र भारतदान 3. दशरथसिंह पुत्र रानीदान 4. उत्तमदान पुत्र लक्ष्मीदान 5. भोजराजसिंह पुत्र शक्तिदान 6. बसंतकुमार पुत्र जीवनसिंह 7. दुर्गादान पुत्र शक्तिदान 8. चैनसिंह पुत्र हुकमदान जातिगण चारण निवासीगण सोजत सिटी, जिला पाली राज0। 2. पिस्तादेवी पत्नी मोहनलाल जाति घांची निवासी–पावटी का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0। 3. तहसीलदार सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री अजयपालसिंह अधिवक्ता प्रति सं0 01 उप0।
3. श्री ताराचंद भाटी अधिवक्ता प्रति सं0 02 उप0।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सोजत जिला–पाली (राज.))

–: **निर्णय** :– दिनांक –20/08/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1684 रकबा 0.4300 है0, की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। वादी द्वारा अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा चाहा गया हैं। प्रकरण में उभय पक्षकारान की सहमति से दिनांक 19.05.2025 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिकी किया जाकर वादी की भूमि का मौका, कब्जा, रेकर्ड तथा हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस वंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिकी जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक / रीडर / 2025 / 1073 दिनांक 06.08.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जो सा0मि0 है। प्राप्त माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा निर्णय पारित कर डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (पाली)

अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 04.08.2025 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 04.08.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1684 रकबा 0.4300 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम सोजत चक द्वितीय में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा
1.	पिस्तादेवी पत्नी मोहनलाल कौम घांची सा0 देह खातेदार।	1684 / 2	0.1075
	कुल	01	0.1075
2.	सुनिल पुत्र चन्द्रगुप्त कौम माहेश्वरी सा0 पाली खातेदार	1684 / 1	0.2150
	कुल	01	0.2150
3.	सोजत क्षेत्रीय चारण विकास समिति सोजत सिटी जरिये प्रतिनिधि 1. वासुदेव पुत्र मुलदान सान्दु कौम चारण सा. भदौरा हाल सोजत 2. विक्रमसिंह पुत्र मोहनसिंह बारहठ कौम चारण सा. आंगदोष तह0 मा0ज0 3. वासुदेव पुत्र चालकदान कौम चारण सा. रेन्दड़ी 4. राजेन्द्रसिंह पुत्र भारतदान आसीया कौम चारण सा. विजलियावास 5. दशरथसिंह पुत्र राणीदान बारहठ कौम चारण सा. रेपड़ावास 6. उतमदान पुत्र लक्ष्मीदान जगट कौम चारण सा. बगड़ी 7. भोजराजसिंह पुत्र शक्तिदान सान्दु कौम चारण सा. रामासनी सांदवान 8. बसन्तकुमार पुत्र जीवनसिंह लखावत कौम चारण सा. रेन्दड़ी 9. दुर्गादान पुत्र शक्तिदान कौम चारण सा. खारिया	1684	0.1075

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

	सोढा 10. चैनसिंह पुत्र हुकमदान मुहड़ कौम चारण सा. देह खातेदार।		
	कुल	01	0.1075

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेघाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 20/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)